

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री हेमन्त कुमार शर्मा, तदेन कनीय अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापक- 5020 दिनांक-15.09.2012 के द्वारा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

(i) स्थल लेखा एवं दैनिक प्रतिवेदन तथा मापी पुस्त में अंकित बोल्डर एवं क्रेट की मात्रा में भिन्नता पाया जाना।

(क) नारायणपुर :- स्थल लेखा में 20449.95m^3 पत्थर, दैनिक प्रतिवेदन में 20375.95m^3 तथा मापी पुस्त में 20672.37m^3 पत्थर की मात्रा प्रतिवेदित है। इसी प्रकार स्थल लेखा में 7561 क्रेट मापीपुस्त में 7721 क्रेट अंकित है। जिससे 122.42m^3 पत्थर एवं 160 क्रेट का अंतर परिलक्षित होता है।

(ख) सरकण्डा :- स्थल लेखा में 13321.52m^3 दैनिक प्रतिवेदन में 12827.21m^3 एवं मापी पुस्त में 12759.79m^3 पत्थर की मात्रा अंकित की गई है। मापीपुस्तिका में 4783 क्रेट, श्रमपुस्त के अनुसार 4767 क्रेट दैनिक प्रतिवेदन में 4927 क्रेट अंकित है जो स्पष्टतः भारी अनियमितता को परिलक्षित करता है।

(ii) बोल्डर आपूर्तिकर्ता के नाम से आयकर/बिक्रीकर नहीं जमा कर कार्यपालक अभियंता के पदनाम से जमा कराया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

(iii) राजस्व की राशि को रोकड़ बही के प्राप्ति भाग में न दर्शाकर व्यय के रूप में प्रतिवेदित किया गया है।

(iv) बोल्डर की आपूर्ति कुल 12574m^3 पत्थर की मात्रा का सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध है। चालान के अनुसार मात्रा 14328.23m^3 की आपूर्ति ली गई है। शेष 19103.934m^3 पत्थर की तथाकथित आपूर्ति नियमों को ताक पर रखते हुए विभिन्न संवेदकों से ली गयी है। बोल्डर आपूर्ति हेतु खदान स्थल से कार्यस्थल तक लीड सत्यापन नहीं हुआ है।

(v) प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के विरुद्ध जमशेदपुर के बदले जामताड़ा से तार क्रेट की आपूर्ति प्राप्त करना।

(vi) गुण-नियंत्रण प्रतिवेदन घटनोत्तर प्राप्त किये गये जो नियमानुकूल नहीं है।

(vii) वित्तीय अधिकार से बाहर जाकर आपूर्ति मद में भुगतान किया जाना।

(viii) बाढ़ संघर्षात्मक कार्य में प्रयुक्त बोल्डर की गणना गोताखोर से नहीं कराना।

(ix) प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के साथ श्रमबल की स्वीकृति भी आवश्यक है, जो सक्षम पदाधिकारी से नहीं ली गयी है।

(x) उच्चस्तरीय तकनीकी जाँच समिति द्वारा खदान से चालान द्वारा प्राप्त बोल्डर की मात्रा को छोड़कर अन्य अनियमित तरीके से तथाकथित 19103.93m^3 बोल्डर एवं तदनुसार 2.531m^3 बोल्डर एवं प्रति क्रेट भरने की दर से कुल 7548 क्रेट के लिए किया गया भुगतान अधिकाई भुगतान है। बोल्डर की अधिकाई मात्रा 19103.934m^3 को ₹ 457.94 प्रति घन की (ढुलाई सहित) की दर से

रु 87,48,455.00 तथा क्रेट की अधिकाई मात्रा 7548 क्रेट को रु 1395 प्रति क्रेट की दर से रु 1,05,29,460 कुल रु 1,92,77,915.00 की अधिकाई भुगतान हुआ है। इस प्रकार 192.78 लाख (लगभग) की सामग्री पर समानुपातिक रूप से लगभग रु 25 लाख श्रमिक का भुगतान होता है। इस प्रकार कुल 217.78 लाख (लगभग) के अधिकाई भुगतान कर सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाई गई।

2. संचालन पदाधिकारी ने जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य दिया है कि श्री शर्मा द्वारा कोई आपूर्ति नहीं ली गई है ये सिर्फ ड्रॉपिंग कार्य में संलग्न थे। ड्रॉपिंग कार्य में प्राप्त मात्रा एवं प्रयुक्त मात्रा दैनिक प्रतिवेदन के अनुसार है कोई अन्तर परिलक्षित नहीं होता है। श्रमबल की स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया है।

3. श्री शर्मा के दिनांक— 31.03.2015 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उपरोक्त नियम-55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक-2336 दिनांक- 13.05.2015 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-43बी में सम्परिवर्तित किया गया।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री हेमन्त कुमार शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए प्रस्तावित दण्ड देय पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। सम्यक् समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि क्रेटिंग एवं ड्रॉपिंग का कार्य श्री शर्मा द्वारा किया गया है जिसमें श्रमबल के रूप में अनियमितता बरती गयी है।

अतः श्री हेमन्त कुमार शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड अधिस्थापित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :-

(क) देय पेंशन से 5% राशि की कटौती तीन वर्षों के लिए।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 582 राँची / दिनांक 31.01.17

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव(प्रवे), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री हेमन्त कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, पता-पुराना आरा मशीन, रांगामाटी, पोस्ट-सिन्दरी, जिला-धनबाद-828122/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Handwritten signature and date 31/01/17

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

प्र 31/17